संख्या आर-11016/2/2015-पी0एण्ड सी0

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक 12 जुलाई, 2019

विषय: उपभोक्ता मामले विभाग के सम्बन्ध में मंत्रिमंडल के लिए जून, 2019 माह के मासिक सारांश – के सम्बन्ध में।

*****

उपभोक्ता मामले विभाग के संबंध में **जून, 2019** माह के लिए मंत्रिमंडल हेतु मासिक सारांश का अवर्गीकृत भाग इस पत्र के अनुलग्नक के रूप में सूचनार्थ संलग्न है।

आलोक 12.07.2019

(आलोक कुमार वर्मा)

निदेशक (पी0 एण्ड सी0)

दूरभाष नं0 23071149

प्रति संलग्नकों सहित, ई-मेल द्वारा निम्नलिखित को अग्रेषित :-

1. मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य
2. पी.आई.ओ./सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
3. उप-राष्ट्रपति जी के सचिव
4. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत सरकार के सचिव (संलग्न सूची के अनुसार)
6. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, नई दिल्ली
7. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
8. निदेशक (एन.आई.सी.), को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)
*****

उपभोक्ता मामले विभाग के माह-जून, 2019 के महत्वपूर्ण कार्यकलाप निम्नलिखित हैं।

1. उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2019:

मंत्रिमंडल ने उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2019 के पुर:स्थापन को 24.06.2019 को हुई अपनी बैठक में अनुमोदित किया।

2. दालों तथा प्याज का बफर स्टॉक:

2.1 दिनांक 30.06.2019 तक की स्थिति के अनुसार, 20.50 लाख मीट्रिक टन के पुराने स्टॉक में से 20.29 लाख मीट्रिक टन का निपटान कर दिया गया है। इसके अलावा, 11.66 लाख मीट्रिक टन दालों को कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग की मूल्य समर्थन स्कीम (पी.एस.एस.) से मूल्य स्थिरीकरण कोष (पी.एस.एफ.) में अंतरित/पुन: पूर्ति कर दी गई है। महाराष्ट्र और गुजरात में अधिप्रापण के माध्यम से 60,000 मीट्रिक टन प्याज के लक्ष्य की तुलना में 52422.2 मीट्रिक टन प्याज का बफर स्टॉक सृजित किया गया है।

2.2 दालों के बफर प्रचालनों के संबंध में तीन साप्ताहिक पुनरीक्षा बैठकें माह जून, 2019 के दौरान आयोजित की गई थीं।

2.3 अरहर की उपलब्धता और मूल्यों का आकलन करने के लिए 11 जून, 2019 को माननीय मंत्री (उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण) की उपस्थिति में अन्तर-मंत्रालयीय समिति (आई.एम.सी.) की एक बैठक आयोजित की गई थी। यह अनुशंसा की गई थी कि अरहर के आयात पर 2 लाख मीट्रिक टन के मात्रात्मक प्रतिबंध को 4 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाया जाए और यह 31 अक्तूबर, 2019 तक प्रभावी रहेगा। इसके अतिरिक्त, मूल्य स्थिरीकरण कोष बफर में उपलब्ध 2 लाख मीट्रिक टन अरहर (साबूत) 'न लाभ न हानि' आधार पर बाजार प्रचालनों के माध्यम से/राज्यों को/नेफेड इत्यादि द्वारा खुदरा मूल्य पर उपलब्ध करवाया जाए। इसके अलावा, डी.जी.एफ.टी. ने पहले ही अरहर के 2 लाख मीट्रिक टन के मात्रात्मक प्रतिबंध आबंटन के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। इस मात्रा के लिए लाइसेंस अगले 10 दिनों में जारी किए जाएंगे। अंत में, जमाखोरों/काला बाजारी करने वालों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

2.4 आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की पुनरीक्षा करने के लिए सचिवों की समिति की एक बैठक 20.06.2019 को आयोजित की गई थी। यह अनुशंसा की गई थी कि उपभोक्ता मामले विभाग, नई खुदरा दुकानों की स्थापना के लिए कदम उठा सकता है और आवश्यक वस्तुओं की खुदरा बिक्री प्रत्यक्ष रूप से करने के लिए राज्यों की सहकारी समितियों/डेयरी निगमों/विपणन संघों की विद्यमान दुकानों का उपयोग कर सकता है। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता मामले विभाग, नेफेड और राज्य एजेंसियों के साथ एक लाख मीट्रिक टन तक प्याज भंडारण क्षमता में वृद्धि करने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर विचार कर सकता है। इसके अलावा, उपभोक्ता मामले विभाग को सभी आवश्यक वस्तुओं जिसमें सरसों के बीज/तेल तथा अन्य खाद्य तेल शामिल हैं, के मूल्यों की सतत रूप से निगरानी करने के लिए कहा गया था। मूल्य संबंधी अंतर-मंत्रालीय समिति की बैठक नियमित रूप से हो सकती है तथा एजेंसियों और मीडिया से प्राप्त जानकारी का विश्लेषण कर सकती है।

2.5 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर के मूल्य स्थिरीकरण कोष (पी.एस.एफ.) प्रस्तावों की समीक्षा करने तथा केंद्रीय बफर स्टॉक से तूर तथा प्याज को खुदरा मूल्य पर प्राप्त करने की संभावना का पता लगाने के लिए 27 जून, 2019 को एक वीडियो सम्मेलन का आयोजन किया गया।

2.6 सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों से तूर के मिल्ड/अनमिल्ड दालों की मासिक/वार्षिक आवश्यकता तथा केंद्रीय बफर से प्याज की किसी प्रकार की आवश्यकता का संकेत देने का अनुरोध किया गया।

3. भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.):

3.1 बी.आई.एस. (वैज्ञानिक संवर्ग के लिए भर्ती) विनियमों के प्रारूप को अंतिम रूप दे दिया गया है तथा विधायी विभाग को विधीक्षा के लिए भेज दिया गया है।

3.2 बी.आई.एस. (प्रयोगशाला तकनीकी पदों की भर्ती) विनियमों के प्रारूप को अंतिम रूप दे दिया गया है तथा विधायी विभाग से विधीक्षा करवा ली गई है। बी.आई.एस. को यह सूचित करने के लिए कहा गया है कि विधीक्षित विनियम अपने अभिप्रायों और आवश्यकताओं को पूरा करते हैं ताकि बाद में उन्हें अधिसूचित किया जा सके।

3.3 उपभोक्ताओं/जनता को सभी अनिवार्य भारतीय मानक नि:शुल्क रूप में उपलब्ध करवाने के लिए विभाग की वेबसाइट पर एक लिंक प्रदान किया गया है।

4. उपभोक्ता संरक्षण विवाद प्रतितोष आयोग (एन.सी.डी.आर.सी.):

माह के दौरान एन.सी.डी.आर.सी. ने निम्नलिखित उल्लेखनीय निर्णय दिया:

<u>प्रशांत सरीन बनाम मोहन दाय ओसवाल कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च फाउंडेशन और अन्य</u>

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (एन.सी.डी.आर.सी.) ने मोहन दाय ओसवाल कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च फाउंडेशन और इसके डॉक्टरों को एक तीन वर्ष के बच्ची के माता-पिता को 16,80,749 रुपये के मुआवजे का भुगतान करने का निदेश दिया जिसकी मृत्यु डॉक्टर रमण अरोड़ा के पर्यवेक्षण में अस्पताल में कैंसर के ईलाज के दौरान हो गई थी।

इस मामले में बच्ची को इन्ट्राथेकली (रीढ की हड्डी में इंजेक्शन देकर) दवा दी गई थी जबकि दवा नसों के जरिए (इन्ट्रावेनयसली) दी जानी थी इससे बच्ची की हालत बिगड़ गई और उसे पक्षाघात हो गया और दो सप्ताह के भीतर उसकी मृत्यु हो गई। एन.सी.डी.आर.सी. ने इसे लापरवाही का मामला मानते हुए बच्ची के माता-पिता को 16,80,749 रुपये का मुआवजा देने का निर्णय दिया। एन.सी.डी.आर.सी. ने यह टिप्पणी की कि इस तथ्य के बावजूद की डॉक्टर रमण अरोड़ा ने इंजेक्शन नहीं दिया था, वह अपनी टीम या उन्हें मरीज के ईलाज के दौरान सहायता करने वाले सहायकों के किसी भी प्रकार के कृत्य/भूल चूक के लिए भी जिम्मेदार है।

5. मंहगाई की वार्षिक दर के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	सूचकांक	मुद्रास्फीति दर (%)		
		मई, 2019 (अनन्तिम)	अप्रैल, 2019 (अनन्तिम)	मई, 2018 (अंतिम)
1	थोक मूल्य सूचकांक **(वार्षिक)**	2.45	3.07	4.78
2	थोक मूल्य सूचकांक **(खाद्य वस्तुएं)**	6.99	7.37	1.74
3	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक **(औद्योगिक कामगार)**	8.65	8.33	3.96
4	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक **(संयुक्त)***	3.05	2.99	4.87
5	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक **(उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक)***	1.83	1.10	3.10

*:- शृंखला 2012=100 #: नया आधार वर्ष 2011-12=100

6. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्धित नागरिक आपूर्ति विभागों द्वारा यथासंसूचित, पूरे देश के 109 केंद्रों से प्राप्त अखिल भारतीय मासिक औसत खुदरा मूल्यों के संबंध में मई, 2019 माह की तुलना में जून, 2019 माह के मूल्य रूझान **अनुलग्नक-I** में दिए गए हैं।

7. मंत्रिमंडल सचिवालय को अन्य बिंदुओं के संबंध में सूचित की जाने वाली अद्यतन जानकारी **अनुलग्नक II** पर दी गई है।

अनुलग्नक -I

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य – पिछले माह की तुलना में रूझान

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित नागरिक आपूर्ति विभागों द्वारा संसूचित, पूरे देश के 109 केंद्रों से प्राप्त 22 आवश्यक वस्तुओं के अखिल भारतीय मासिक औसत खुदरा मूल्यों को संकलित किया गया है और मई, 2019 माह की तुलना में जून, 2019 माह के लिए मूल्यों का रूझान नीचे दिया गया है:-

आवश्यक वस्तुओं की अखिल भारतीय मासिक औसत खुदरा कीमतें

(रुपये/कि.ग्रा.)

क्रम संख्या	वस्तु	जून, 2019 (अद्यतन)	मई, 2019 (विगत) माह	अंतर (रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	चावल	32	31	1
2	गेहूं	26	26	0
3	आटा	28	28	0
4	चना दाल	66	66	0
5	तूर दाल	83	79	4
6	उड़द दाल	75	72	3
7	मूंग दाल	82	79	3
8	मसूर दाल	63	62	1
9	चीनी	39	38	1
10	दूध	43	43	0
11	मूंगफली का तेल	129	128	1
12	सरसों का तेल	109	109	0
13	वनस्पति	80	80	0
14	सोया तेल	92	92	0
15	सूरजमुखी का तेल	99	99	0
16	पॉम ऑयल	75	75	0
17	गुड़	44	43	1
18	चाय खुली	213	212	1
19	नमक पैकबंद	15	15	0
20	आलू	18	17	1
21	प्याज़	19	17	2
22	टमाटर	36	33	3

स्रोत: राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग

अनुलग्नक-II

उपभोक्ता मामले विभाग

3. दीर्घकालीन अंतर मंत्रालयी परामर्शों के कारण लंबित हुए महत्वपूर्ण नीतिगत मामले:

-कोई नहीं -

4. सचिवों की समिति के निर्णयों का अनुपालन:

ई-समीक्षा पोर्टल पर अद्यतन कर दिया गया है।

3. तीन माह से अधिक समय से लम्बित 'अभियोजन के लिए स्वीकृत' मामलों की संख्या:

शून्य

4. ऐसे मामलों का विवरण जिनमें सरकार के कार्य व्यापार नियमों अथवा स्थापना नीति से विपथन हुआ है:

शून्य

5 . ई-गवर्नेंस के कार्यान्वयन की स्थिति:

फाइलों की कुल संख्या	ई-फाइलों की कुल संख्या
210	**182**

6. लोक शिकायतों की स्थिति:

जून , 2019 माह में निपटाई गई लोक शिकायतों की संख्या	**जून, 2019** माह के अन्त में लम्बित लोक शिकायतों की संख्या
897	**563**

7. राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर पंजीकृत शिकायतों की स्थिति

जून, 2019 माह के दौरान, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर पंजीकृत डॉकेटों की कुल संख्या	**जून, 2019** माह के अंत तक निपटाए गए कुल डॉकेटों की संख्या
64643	**33711**

8 न्यूनतम शासन, अधिकतम प्रशासन:

उपभोक्ता मामले विभाग का मूल्य निगरानी कक्ष पूरे देश के 109 केन्द्रों से 22 आवश्यक वस्तुओं की खुदरा एवं थोक कीमतों की दैनिक आधार पर मॉनीटरिंग करता है। ये कीमतें राज्य नागरिक आपूर्ति विभागों द्वारा दैनिक आधार पर मुख्यत: ऑनलाइन तरीके से रिपोर्ट की जाती हैं। इन कीमतों को तत्काल ही विभाग की वेबसाइट के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है क्योंकि कीमतों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के कारण कीमतों की रिपोर्टिंग और उनके प्रसारण में कम समय लगता है। विलम्ब से बचने तथा अधिक प्रभावी परिणामों के लिए अनुदेशों/दिशानिर्देशों के अनुसार, दिन-प्रति-दिन के कार्यालय कार्यों को भी ऑनलाइन किया जा रहा है।

****